न्यायमूर्ति डीवी सहगल के समक्ष,

काको, -याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य, -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 4506, 1987

14 जनवरी 1988.

*भारत का संविधान,*1950—कला. 14—भारतीय वायु सेना परिवार पेंशन योजना, 1964—पैरा 4(सी)(2)—पारिवारिक पेंशन के लिए विधवा की पात्रता—रक्षा सेवा से पति की छुट्टी के बाद किया गया विवाह—परिवार पेंशन के लाभ के लिए ऐसी शादी से विधवा के अधिकार को मान्यता नहीं देने वाली योजना— पैरा 4(सी)(2)-क्या उचित वर्गीकरण और अंतरा अधिकार अनुच्छेद 14 पर आधारित है।

अभिनिर्धारित किया गया कि पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का दायित्व लेते समय, सरकार ने अपने विवेक से इसे ध्यान में रखा हैसेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले एक सरकारी कर्मचारी का पारिवारिक दायित्व। यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद दायित्व वहन करता है, अर्थात विवाह का अनुबंध करके या बच्चे को गोद लेकर, तो सरकार पर सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु के मामले में विधवा या ऐसे आश्रित दत्तक बच्चे के भरण-पोषण का दायित्व नहीं डाला जा सकता है। वर्गीकरण स्पष्ट रूप से उचित है और इसके पीछे निश्चित रूप से एक तर्क है और इसलिए, यह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

(पैरा 5).

अभिनिर्धारित किया गया कि यह नियम कि सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद एक सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा किए गए विवाह से विधवा एक अनुदान के प्रयोजनों के लिए परिवार पेंशन योजना, 1964 के पैरा 4 (सी) (2) में 'परिवार' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी। पारिवारिक पेंशन सार्वभौमिक प्रतीत होती है क्योंकि इसी तरह के प्रावधान केंद्रीय सेवा पेंशन नियमों के नियम 54(14-ए) और पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड के नियम 6.17 में पाए जाते हैं। द्वितीय. विधवाओं को सेवानिवृत्ति के बाद के विवाह से बाहर करने वाले 'परिवार' की परिभाषा उचित वर्गीकरण पर आधारित है।

(पैरा 7).

भारत के संविधान के *धारा* 226/227 *के अंतर्गत याचिका* में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय आदेश अनुलग्नक पी-2 को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में रिट जारी करने और उत्तरदाताओं को सामान्य पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश देने वाले परमादेश की रिट जारी करने की कृपा करें।

या

इस माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त और उचित समझी जाने वाली कोई अन्य रिट या निर्देश जारी करना।

(ii)उत्तरदाताओं को अग्रिम सूचना की सेवा से छूट दी जाए। '

(iii) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जा सकती है।

(iv) याचिका को लागत सहित स्वीकार किया जाए।

याचिकाकर्ताओं के वकील मलकीत सिंह।

प्रतिवादियों की ओर से एचएस बराड़, वरिष्ठ स्थायी वकील, भारत सरकार।

निर्णय

डीवी सहगल जे.

याचिकाकर्ता ई/एफ सरूपा की विधवा हैं, जो 10 सितंबर, 1942 को एक सफाई कर्मचारी के रूप में रॉयल इंडिया एयर फोर्स में शामिल हुईं। 17 अगस्त, 1947 तक सेवा देने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गयी22 अगस्त, 1947 को अनुबंधित विकलांगता के कारण सेवा। उन्हें रुपये की दर से विकलांगता पेंशन प्रदान की गई। 20 अगस्त 1974 से जीवन भर के लिए 11 आने चार। सेवामुक्ति के समय वह कुंवारे थे। उन्होंने 15 जून, 1953 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार याचिकाकर्ता से शादी की। याचिकाकर्ता उसके साथ रह रहा था। 30 दिसंबर, 1977

को उनकी मृत्यु होने तक उनकी पत्नी के रूप में। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके पति को उनकी मृत्यु तक विकलांगता पेंशन मिल रही थी, लेकिन उसके बाद इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि स्पष्ट रूप से विकलांगता पेंशन उनके जीवन भर के लिए थी।

(2) अपने पति की मृत्यु पर, याचिकाकर्ता ने पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए वायु सेना अधिकारियों के पास आवेदन किया। उनसे अपनी शादी का सबूत, अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और वायुसेना से मृतक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा गया था। उन्होंने ये सभी दस्तावेज जमा कर दिए. उन्हें 28 फरवरी, 1986 को एक संचार प्राप्त हुआ कि पारिवारिक पेंशन अनुदान के लिए उनका मामला केंद्रीय रक्षा लेखा (पेंशन) को भेज दिया गया था। हालाँकि, उन्हें बाद में सूचित किया गया, दिनांक 7 जनवरी 1987 के पत्र अनुलग्नक पी. 2 के माध्यम से कि वह भारत सरकार के दिनांक 8 अगस्त 1985 के विस्तारित आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन लाभ पाने की हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने शादी कर ली है। मृतक को सेवा से मुक्त होने के बाद। उसके बाद के अभ्यावेदन के बावजूद, उसे कोई राहत नहीं दी गई। इसलिए, उसने आदेश अनुलग्नक पी. 4 को रद्द करने और प्रतिवादियों को उसे पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश देने के लिए वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत से संपर्क किया है।

(3) रिट याचिका का उत्तरदाताओं ने विरोध किया है और उनकी ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन की योजना पहली बार 14 अप्रैल, 1964 के अनुबंध आर. 1 के तहत शुरू की गई थी और इसे उन अधिकारियों और अन्य रैंकों पर लागू किया गया था जो 1 तारीख को वायु सेना की सेवा में थे। जनवरी, 1964 या जो उसके बाद सेवा में शामिल हुए और जिनकी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति या विकलांगता पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई। इस आदेश के पैरा 4 में 'परिवार' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -

> "इन आदेशों के प्रयोजनों के लिए 'परिवार' में व्यक्ति के निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल होंगे: -
>
> (a) पत्नी।
>
> (b) नाबालिग बेटे; और
>
> (c) अविवाहित नाबालिग बेटियां।
>
> *टिप्पणियाँ:*—(1), (बी) और (सी) में सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे शामिल होंगे।
>
> (2) इन आदेशों के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्ति के बाद विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी।

पूर्व सरकारी सेवकों की विधवाएँ जो 31 दिसंबर को सेवा से सेवानिवृत्त हो गई थीं। 1963 या उक्त तिथि से पहले और जो पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के दायरे में नहीं आते थे, उन्होंने रिट याचिका दायर करके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आदेश अनुलग्नक आरएल को चुनौती दी और दावा किया कि उक्त आदेश में निर्दिष्ट 1 जनवरी, 1964 की तारीख मनमाना और भेदभावपूर्ण थी और वह उन्हें पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ भी दिया जा सकता है। भारत संघ ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया जिसमें यह संकेत दिया गया कि वे ऐसी विधवाओं के दावे को स्वीकार करने के लिए किस हद तक तैयार होंगे। अंतिम न्यायालय में दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, 30 अप्रैल, 1985 को मामले का निर्णय लिया गया, जिसमें 22 सितंबर, 1977 से उन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ दिया गया, जो वहन कर रहे थे। पेंशन योग्य स्थापना पर और वर्तमान में 1964 की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, अर्थात् उन कर्मचारियों के परिवार जो 31 दिसंबर, 1963 को या उससे पहले सेवानिवृत्त/मृत्यु हो गए। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, अनुदेश दिनांक 8 अगस्त, 1985 अनुलग्नक आर.3 जारी किए गए थे। . इस प्रकार, उत्तरदाताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता अनुलग्नक आरएल में दी गई 'परिवार' शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है और इसलिए, वह पारिवारिक पेंशन अनुदान की हकदार नहीं है।

(4) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक बहुत ही कठिन मामला है और याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन की एक बहुत ही मामूली राशि देय होती यदि उत्तरदाताओं ने इसे मंजूरी दे दी होती। मेरे कहने के बावजूद भारत संघ के विद्वान स्थायी वकील याचिकाकर्ता, जो एक गरीब विधवा है, को सहायता प्रदान करने के लिए मेरे सामने कोई रियायत नहीं दे सके। इसलिए, मेरे पास पारिवारिक पेंशन योजना के कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले का फैसला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा राहत मांगी गई है।

(5) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आदेश अनुलग्नक आर 1 में पैरा 4 के फुट नोट नंबर 2 में प्रावधान है कि सेवानिवृत्ति के बाद विवाह को इन आदेशों के प्रयोजनों के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी, भेदभावपूर्ण है। उनका तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा विवाह के दौरान अनुबंधित अवधि के बीच कोई उचित वर्गीकरण नहीं किया जा सकता हैसेवा में होने और पारिवारिक पेंशन के प्रयोजनों के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद विवाह का अनुबंध किया गया। अपने समर्थन में वह डीएस नकारा और अन्य बनाम भारत संघ पर भरोसा करते हैं और तर्क देते हैं कि न तो यह समझदार अंतर पर आधारित एक उचित वर्गीकरण है और न ही इसके पीछे कोई तर्क है। हालाँकि, मैं इस निवेदन से सहमत नहीं हूँ। पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का दायित्व लेते समय, सरकार ने अपने विवेक से सेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले एक सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक दायित्व को ध्यान में रखा है। यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद दायित्व वहन करता है, अर्थात, विवाह का अनुबंध करके या बच्चे को गोद लेकर, तो सरकार पर सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु के मामले में विधवा या ऐसे आश्रित दत्तक बच्चे के भरण-पोषण का दायित्व नहीं डाला जा सकता है। वर्गीकरण स्पष्ट रूप से उचित है और इसके पीछे निश्चित रूप से एक तर्क है। »

(6) यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों का नियम (14-ए), जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के भुगतान का भी प्रावधान करता है, 'परिवार' को परिभाषित करता है। ' अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार:-

"सरकारी कर्मचारी के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है-

(1) पुरुष सरकारी सेवक के मामले में पत्नी या महिला सरकारी सेवक के मामले में पति, बशर्ते कि विवाह सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति से पहले हुआ हो।

लगभग समान प्रावधान पंजाब सिविल सेवा नियम खंड II के नियम 6.17 में निहित है, जो पारिवारिक पेंशन योजना का प्रावधान करता है। यह 'परिवार' को इस प्रकार परिभाषित करता है: -

"(3) इस योजना के प्रयोजनों के लिए 'परिवार' में सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल होंगे: -

(a) पुरुष सरकारी कर्मचारी के मामले में पत्नी और महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में पति;

(b) ...

(सी)

टिप्पणी 1.—...

टिप्पणी 2.—सेवानिवृत्ति के बाद विवाह को इस योजना के प्रयोजनों के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।

(7) इस प्रकार, यह नियम कि सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद एक सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा किए गए विवाह से विधवा पारिवारिक पेंशन के अनुदान के प्रयोजनों के लिए 'परिवार' की परिभाषा में नहीं आएगी, सार्वभौमिक प्रतीत होता है और उचित वर्गीकरण पर आधारित है। इस प्रकार, मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि इस आशय का प्रावधान या तो भेदभावपूर्ण है या असंवैधानिक है।

(8) परिणामस्वरूप, मैं इस रिट याचिका को अस्वीकार करने के लिए बाध्य हूं, जिसे इसलिए खारिज किया जाता है। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीत कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
झज्जर, हरियाणा